

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ-20(504)एनएचएम/एचआरडी/आरबीएसके/2018/2258

दिनांक: 16/11/18

-: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में आयुष चिकित्सक के पदों को भरने हेतु जारी एनएचएम विज्ञापित क्रमांक 237 दिनांक 08.03.2018 के क्रम में विज्ञापित आयुष चिकित्सक आरबीएसके - महिला (आयु0/होम्यो0/यूनानी) के संविदा पदों पर प्रतीक्षा सूची में से मेरिटवाईज-कैटेगरीवाईज चयनित अभ्यर्थियों को पूर्णतया संविदा आधार पर राशि रूपये 22180/- प्रति माह के समेकित पारिश्रमिक पर निम्नानुसार पदस्थापित किया जाता है।

S.No	Roll No	Candidate Name	Posting Block	Posting District
1	A(A)0774	POONAM SEN	Shahpura	Bhilwara
2	A(A)0210	DEVIKA YADAV	Kumher	Bharatpur
3	A(A)1154	SUKRITI	Nagar	Bharatpur
4	A(H)0182	CHETNA KOTHARI	Talwara	Banswara
5	A(U)0161	SHAHIN PARVEEN	Kotri	Bhilwara
6	A(A)0837	PRIYANKA JATOLIYA	Gulabpura	Bhilwara
7	A(A)0643	NEELAM GOYAL	Pokran	Jaisalmer
8	A(A)1193	SUPRIT KAUR	Bhadesar	Chittorgarh
9	A(H)0845	RAMA DADHICH	Rawatbhata	Chittorgarh
10	A(A)0309	HEMADRI SANWARIA	Sheo	Barmer
11	A(A)0317	HEMLATA MEENA	Bhusawar	Bharatpur
12	A(A)0240	DOC REETIKA VYAS	Bari	Dholpur
13	A(A)0932	RAVINA	Sindhari	Barmer
14	A(A)0352	JEENU THOMAS	Siwana	Barmer
15	A(H)0563	MINAKSHI NARUKA	Kaman	Bharatpur
16	A(U)0125	NAZREEN	Rashmi	Chittorgarh

4  
B

S.No	Roll No	Candidate Name	Posting Block	Posting District
17	A(A)1164	SUMAN SHEKHAWAT	Asind	Bhilwara
18	A(A)0856	PURVA PAREEK	Rawatbhata	Chittorgarh
19	A(A)0663	NEHA SHARMA	Gangrar	Chittorgarh
20	A(H)0719	POORNIMA SHARMA	Raipur	Bhilwara
21	A(A)0415	KAVITA GARG	Sam	Jaisalmer
22	A(A)0170	CHARULATTA BEGHD	Jaisalmer	Jaisalmer
23	A(A)0556	MANU BALA	Chitalwana	Jalore
24	A(A)0141	BHAGYASHREE KHATRI	Bhinmal	Jalore
25	A(H)0056	ANJALI KHICHIRAJ	Nimbahera	Chittorgarh
26	A(A)1121	SINKU	Dungarpur	Dungarpur
27	A(A)0542	MANJEET	Sajjangarh	Banswara
28	A(A)0599	MONIKA KUMARI	Sankra	Jaisalmer
29	A(A)1136	SONIA	Bhindar	Udaipur
30	A(A)1243	VANDANA KUMARI	Kotra	Udaipur
31	A(A)0727	PAYAL GAORANA	Chohatan	Barmer
32	A(A)0920	RASHMI SHARMA	Dhorimana	Barmer
33	A(U)0145	SADAF PARVEEN	Chitalwana	Jalore
34	A(A)0442	KOMAL	Anandpuri	Banswara
35	A(A)0184	CHITRANGDA	Chhipabarod	Baran
36	A(A)0409	KAUSHAL MEENA	Dungla	Chittorgarh
37	A(H)0916	RUPIKA VIJAYVARGIYA	Chittorgarh	Chittorgarh
38	A(A)1247	VARSHA GAUTAM	Baseri	Dholpur
39	A(A)0764	POOJA SHARMA	Dholpur	Dholpur
40	A(A)0066	ANJANA CHOUHAN	Manoharthana	Jhalawar

4  
B

S.No	Roll No	Candidate Name	Posting Block	Posting District
41	A(H)0914	RUCHI CHITTORA	Bakani	Jhalawar
42	A(A)0941	REENA NAGAR	Railmagra	Rajsamand
43	A(A)1160	SUMAN KHOKHAR	Sheo	Barmer
44	A(A)0845	PRIYANKA SHRIMALI	Reodar	Sirohi
45	A(A)0740	POOJA	Rohat	Pali
46	A(A)0841	PRIYANKA MEENA	Khandar	Sawai Madhopur
47	A(A)1089	SHELJA NAGPAL	Khamnor	Rajsamand
48	A(A)1015	SANGEETA KUMARI	Arnod	Pratapgarh
49	A(A)0938	REENA AGARWAL	Devgarh	Rajsamand
50	A(A)0763	POOJA SHARMA	Kumbhalgarh	Rajsamand
51	A(A)0721	PARUL SHARMA	Abu Road	Sirohi
52	A(H)0782	PRIYANKA SACHDEVA	Sam	Jaisalmer
53	A(A)0842	PRIYANKA MOHTA	Jahajpur	Bhilwara
54	A(A)0202	DEEPTI SIHAR	Gogunda	Udaipur
55	A(A)0540	MANISHA VERMA	Lasadiya	Udaipur
56	A(A)0954	RENU KOTIYA	Mavli	Udaipur

नव नियुक्त संविदा आयुष चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 28.11.2018 तक आवश्यक रूप से अपने आवंटित पदस्थापन स्थान से सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों सहित अपनी उपस्थिति देते हुये संबंधित पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

नव नियुक्त संविदा आयुष चिकित्सकों अपने आवंटित पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, इसकी रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम (संकलित) से दिनांक 29.11.2018 को सायं 5.00 बजे तक आवश्यक रूप से ई-मेल आई.डी. [co.hrd.nhm@gmail.com](mailto:co.hrd.nhm@gmail.com) पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।

4  
151

यदि कोई आयुष चिकित्सक तय समय सीमा में निर्धारित स्थान पर ज्वार्इन नहीं करता है तो आगे नियुक्ति के संबंध में उसका कोई अधिकार नहीं होगा एवं उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जाकर संबंधित पद को रिक्त पद मानते हुये आगामी कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध मे अंतिम निर्णय का अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को होगा।


नव नियुक्त संविदा आयुष चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार), चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार) एवं रू 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर (Blank) के साथ उपस्थिति प्रदान कर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करे।

उक्त संविदा आयुष चिकित्सकों को प्रथमतः तीन माह (प्रोबेशन अवधि) के लिये लिया जावेगा। नव नियुक्त संविदा कार्मिक की सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा अवधि को आगामी दिनांक 31.03.2019 तक के लिये तक के लिये बढ़ाया जायेगा। अनुबंधित संविदा कार्मिको को उक्तानुसार समेकित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई परिलाभ देय नही होंगे। इस संबंध में आगामी कार्यवाही भारत सरकार द्वारा परियोजना के अन्तर्गत जारी विशिष्ट प्रावधानों के अध्याधीन होगी।

इस सम्बन्ध में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नव नियुक्त संविदा आयुष चिकित्सकों के मूल दस्तावेजों (विज्ञप्ति मे उल्लेखित अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, राजस्थान राज्य के सम्बन्धित चिकित्सा बोर्ड से पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों) की जांच कर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की एक-एक स्वप्रमाणित प्रति रिकार्ड मे रखते हुये नियमानुसार कार्यग्रहण करवाये जाकर अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। कार्यग्रहण उपरान्त कार्मिक को उनके संबंधित पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त कर अविलम्ब भिजवाए।

उक्त अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जांच के अध्याधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज मिथ्या/गलत पाये जाते है तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदत्त अनापत्ति No.437/RJ-LA/2018/NS-I Dated 2<sup>nd</sup> November, 2018 के अनुसरण में जारी किये जा रहे है।

  
(नेवीन जैन)  
शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक: एफ-20(504)एनएचएम/एचआरडी/आरबीएसके/2018/2258

दिनांक: 16/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. अति० मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक- आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
6. निदेशक (वित्त), एनएचएम, जयपुर।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक, आरबीएसके, एनएचएम, जयपुर।
9. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम, जयपुर।
10. सलाहकार, आरबीएसके, एनएचएम, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त जोन, राजस्थान।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिलें।
13. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिलें।
14. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, समस्त जिले, राजस्थान।
15. अति० जिला नोडल अधिकारी आरबीएसके समस्त जिलें, राजस्थान।
16. संबंधित चयनित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं कार्यग्रहण करने हेतु पालनार्थ।
17. प्रभारी सर्वर रूम को वर्णित आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक,  
एनएचएम